

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL  
BENCH, NEW DELHI

IN  
ORIGINAL APPLICATION NO. 239/2025

**IN THE MATTER OF:**

ANIL SINGH & ORS

..... APPLICANT(s)

Versus

STATE OF UTTAR PRADESH

..... RESPONDENT

**INDEX**

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply Affidavit of District Magistrate Banda in compliance of order dated 18.08.2025 passed by this Hon'ble Tribunal	
2.	<b><u>Annexure No. R 1: -</u></b> A copy of the letter dated 14.11.2024	
3.	<b><u>Annexure No. R 2 (Collectively):-</u></b> A copy of Letter of Intent dated 03.04.2023 and a copy of Cluster Certificate dated 16.06.2023	
4.	<b><u>Annexure No. R 3 (Collectively): -</u></b> A copy of challan dated 26.06.2025 and challan dated 27.06.2025	
5.	<b><u>Annexure No. R 4: -</u></b> A copy of the letter dated 19.08.2025	
6.	<b><u>Annexure No. R 5: -</u></b> A copy of office memorandum dated 18.07.2025	
7.	<b><u>Annexure No. R 6: -</u></b> A copy of Committee Report dated 24.07.2025	
8.	<b><u>Annexure No. R 7: -</u></b> copy of Affidavit submitted by few Applicants	

FILED THROUGH

DATED: - 21.09.2025

*Ankit Verma*

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF UP

A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013

MOB :- 09990804440

Email-ankit.scngtup@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL  
BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 239/2025

IN THE MATTER OF:

ANIL SINGH & ORS

..... APPLICANT(s)

Versus

STATE OF UTTAR PRADESH

..... RESPONDENT

REPLY AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE BANDA IN  
COMPLIANCE OF ORDER DATED 18.08.2025 PASSED BY THIS  
HON'BLE TRIBUNAL


The Respondent No. 1 herein states as under:

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Reebha John Benjamin aged about 33 years, D/o John Benjamin, presently posted as District Magistrate – District Banda, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under:-

1. That I am the above-mentioned officer of answering Respondent No. 1 and is duly competent to file the present affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

That the Deponent has read and understood the contents of the present affidavit. The averments made in the Original Application, which are not specifically admitted hereunder, must be considered to have been denied by the Deponent.



*A. S.*

3. That the contents of the present reply affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed there from.
4. That the Deponent is posted as District Magistrate- Banda, since 18.01.2025 and is swearing this affidavit in his official capacity.
5. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 18.08.2025 was pleased to issue the following directions: -  
  

*“.....3 In view of the abovementioned facts in the description of respondent no. 1-State of U.P., the District Magistrate, Hamirpur is ordered to be substituted by the District Magistrate, Banda to represent respondent no.1- State of U.P. The Registry is directed to amend memo of parties accordingly.....”*
6. That the present response is being filed in respectful compliance of the order dated 18.08.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, in this present Original Application.
7. That the present Original Application has been filed by the Applicants herein seeking relief for regulation of dust which is being increased in the alleged area due to the transportation of trucks carrying minor minerals by Respondent No.4. It is further submitted that due to the dust, the environment of the village and fields is getting polluted.

That M/s A.S. Traders has been duly granted Environmental Clearance in respect of Gata Nos. 56 (part), 57, 92/6, 93/1, 94, 95/2, and 60/1/3, situated at Village Sadi Madanpur, Tehsil Pailani, District Banda, Uttar Pradesh, vide communication of the State Environment Impact Assessment Authority




J. Nulue

(SEIAA) bearing Letter No. SIA/UP/MIN/478188/2024 (File No. 9192-8461, EC Identification No. EC24B0107UP5448712N) dated 15.10.2024.

9. That it is further submitted that the Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow, by its letter bearing No. 224093/UPPCB/Banda (UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2024 dated 14.11.2024, has accorded Conditional Consent to Operate under the Water and Air Acts, which consent shall remain valid for the period commencing from 14.11.2024 and expiring on 31.12.2028. A copy of the letter dated 14.11.2024 is being annexed as **Annexure No. R1** to this affidavit.

10. That a Letter of Intent, bearing reference no. 1155/Mining-30, Banda, dated 03.04.2023, together with Cluster Certificate no. 1946/Mining-30, Banda, dated 16.06.2023, was issued in favour of *M/s A.S. Traders* in respect of Gata Nos. 56 (part), 57, 92/6, 93/1, 94, 95/2, and 60/1/3 (part), situated in Village-Sadimadanpur, Tehsil-Pailani, District-Banda, U.P. Pursuant thereto, a mining lease was duly sanctioned for excavation of 2,31,250 cubic meters per annum of sand/morrum, in accordance with the environmental clearance so granted. A copy of Letter of Intent dated 03.04.2023 and a copy of Cluster Certificate dated 16.06.2023 are being collectively annexed as **Annexure No. R2** to this affidavit.


11. That a joint inspection of the said mining lease area was conducted on 19.03.2025 by a team comprising officers of the Revenue Department and the Mining Department. Upon such inspection, it was found that outside the demarcated lease area, illegal mining and transportation of sand/morrum to the extent of 5101.50 cubic meters had been carried out. Consequently, in



J. Nulane

view of the violation of Rules 3, 58, and 72 of the U.P. Minor Minerals (Concession) Rules, 2021, as well as Sections 4 and 21 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, a notice was issued to the lessee vide Office Letter no. 5241/Mining-30, Banda, dated 21.03.2025, intimating revenue loss assessed at ₹45,91,350/-. Against the said demand, the lessee deposited a part payment of ₹30,00,000/-, vide Challan no. AKV250018080 dated 26.06.2025 (₹10,00,000/-) and Challan no. AKV250018133 dated 27.06.2025 (₹20,00,000/-). A copy of challan dated 26.06.2025 and challan dated 27.06.2025 are collectively being annexed as **Annexure No. R 3** to this affidavit.

12. That a subsequent joint inspection of the aforesaid mining lease was conducted on 21.05.2025 by a team comprising officers of the Revenue Department and the Mining Department. During such inspection, it was found that outside the demarcated lease area, illegal mining and transportation of sand/morrum to the extent of **22,086 cubic meters** had been carried out. Consequently, in view of the violation of Rules 3, 58, and 72 of the U.P. Minor Minerals (Concession) Rules, 2021, as well as Sections 4 and 21 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, a notice was issued to the lessee vide Office Letter no. 1035/Mining-30, Banda, dated 27.05.2025, apprising him of the total assessed revenue loss of ₹1,98,77,400/-.



13. That the lessee submitted his explanation to the said notice on 02.06.2025. However, along with the said explanation dated 02.06.2025, no document or evidence was furnished to establish that the said act of illegal mining had not been committed by him. Accordingly, vide Office Letter no. 2005/Mining-


J. Nulme

30, Banda, dated 19.08.2025, the explanation submitted by the lessee was rejected and disposed of. A copy of the letter dated 19.08.2025 is being annexed as Annexure No. R 4 to this affidavit.

14. That in compliance with the order dated 29.05.2025 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, in Original Application No. 239 of 2025, *Anil Singh vs. State of Uttar Pradesh*, the Office of the District Magistrate, Banda, vide Office Memorandum no. 318/NGT/239 dated 18.07.2025, constituted a Committee for the purpose of inspection. A copy of office memorandum dated 18.07.2025 is being annexed as Annexure No. R 5 to this affidavit.

15. That the inspection of the aforesaid site was carried out on 24.07.2025 by the members/representatives of the Committee, namely, the Sub-Divisional Magistrate, Pailani; the District Mining Officer, Banda; and the Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Banda.

16. That in the report submitted by the Committee, it was recorded that at the time of inspection, no mining activity was found to be in operation. It was further noted that the complainant, Shri Anil Singh, was present during the inspection, and he orally as well as in writing submitted that at present he has no grievance with regard to the said mining lease, and that the lessee is undertaking sprinkling of water at the site. A copy of Committee Report dated 24.07.2025 annexed as Annexure No. R 6 to this affidavit.



17. That furthermore, by way of affidavits dated 28.07.2025 and 05.08.2025, sworn by Shri Mahendra Singh of Village-Lomar, Shri Anubhav Tiwari of Village-Lomar, Shri Vishnu Kumar Tiwari of Village-Lomar, Shri Jitendra

J. Nulke





**Uttar Pradesh Pollution Control Board**  
 Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010  
 Phone:0522-2720828,2720831, Fax: 0522-2720764, Email: info@uppcb.in, Website: www.uppcb.com

Category : RED

Application Id : 28651007

224093/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2024

Date: 14/11/2024

To,

M/s

MS AS TRADERS

Gata No.- Part of 56, 57, 92/6, 93/1, 94, 95/2, Part of 60/1/3, Village- Sadimadanpur, Tehsil- Pailani, District- Banda, Uttar Pradesh, BANDA, 210123

**Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981**

CCA is hereby granted to MS AS TRADERS located at Gata No.- Part of 56, 57, 92/6, 93/1, 94, 95/2, Part of 60/1/3, Village- Sadimadanpur, Tehsil- Pailani, District- Banda, Uttar Pradesh, BANDA, 210123. subject to the provisions of the Water Act, Air Act and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA MS AS TRADERS granted for the period from 14/11/2024 to 31/12/2028 and valid for manufacturing of following products.

S No	Product	Quantity	Unit
1	Sand/Morrum	231250	Cubic Meters/Year

2. Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
Domestic	1.0 KLD	Septic Tank	Soak Pit

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.

In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

#### Industrial Effluent Quality Standard

S.No.	Parameter	Standard
-------	-----------	----------

(iv) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality. In case of stoppage of functioning of STP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be



J. Nulke

dispatched immediately.

(v) The treated sewage shall be reused in gardening as far as possible. The STP shall be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S No.	Parameters	Standards
-------	------------	-----------

### 3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-

i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

#### Air Pollution Source Details

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack
1	Dust emission during manual mining, transportation and loading/unloading of Sand/Morrum.			Particulate Matter	water sprinkling system and Green Belt for controlling dust emission.

#### Emission Quality Standards

S No.	Stack no	Parameters	Standards
1		Particulate Matter	Ambient Air Standard as per E(P) Act 1986.

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.

iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

### 4. Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-

(i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.



- (ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.
5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
  6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will result in legal action under the aforesaid Acts and Rules.
  7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-<http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx> for ensuring timely compliance of this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.
  8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

**General Conditions:-**

1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated Industrial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.
7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point
12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.



**Specific Conditions:-**

1. This consent is valid for production capacity Sand/Morrum- 231250 cum/year by opencast and semi mechanized mining in 18.5 Hectare lease area at Gata No.- Part of 56, 57, 92/6, 93/1, 94, 95/2, & Part of 60/1/3, Village- Sadimadanpur Tehsil- Pailani, District-Banda.
2. Mining unit shall comply with the conditions of Environmental Clearance issued by State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) vide EC Identification No. EC24B0107UP5448712N dated 15.10.2024, and submit its compliance report to UPPCB.
3. If the Mining Plan/lease agreement or Environmental Clearance expires prior to 31.12.2028, then the validity of this CTO shall stand expired simultaneously with the expiry of Mining Plan/lease agreement or Environmental Clearance.
4. Mining shall be done as per EC issued by SEIAA and directions given by Mining Department/District Administration.
5. The unit shall submit the latest copy of Audited Balance Sheet/C.A. Certificate (Fixed Assets + Current Assets - Current Liabilities) for verification of the Consent fee payable by the industry within 15 days. In case CTO fee dues then it shall be submitted to the Board immediately.
6. Unit shall develop and maintain green belt as per the conditions of Environmental Clearance.
7. Unit shall not withdrawal ground water for any industrial activity without obtaining necessary permission from UPGWA.
8. The domestic effluent shall be treated through septic tank/soak pit or provide mobile toilet facility. Industry shall maintain ZLD.
9. Unit shall make water sprinkling arrangement through Tankers for dust suppression at different sources of dust emission during mining, transportation, loading and unloading of Sand/Morrum.
10. Unit should operate and maintain installed water sprinkler system effectively and continuously to achieve the standards prescribed under E(P) Rules, 1986.
11. Unit shall submit Ambient air monitoring reports of NABL accredited laboratory on quarterly basis to the Board.
12. All trucks, tractors used in transportation of Sand/Morrum shall be covered by canvas sheet to prevent dust emission.
13. Water will be sprayed after loading activity (if Sand/Morrum collected could be dry condition)
14. The dust suppression measures like water spraying will be done on the haul roads and working areas.
15. Industry should comply with the provisions of Hazardous and Other waste (Management & Trans boundary Movement) Rules 2016.
16. Solid waste should be disposed in such manner, so that no water, air and soil pollution takes place.
17. Industry shall abide by directions given by Hon'ble Court, Hon'ble NGT, MoEF&CC, Central Pollution Control Board, UPPCB and District Administration for protection and safe guard of environment from time to time.
18. Consent fees if revised, shall be payable by industry from the date of its applicability.
19. Industry shall comply with the relevant provisions of Environmental Laws.
20. If closure order is issued by CPCB or UPPCB against the unit, then CTO issued earlier will remain suspended during the closure period and after ensuring the compliance and after revocation of closure order, the CTO will automatically be effective with additional conditions mentioned in the closure revocation order.

ATULESH YADAV Digitally signed by ATULESH YADAV  
Date: 2024.11.15 18:51:54 +05'30'

Chief Environmental Officer (circle-2)

Copy to:

*J. Nulwa*  
9  
20-9-25

Regional Officer, UPPCB, Banda with direction to send the compliance report of CTO conditions on quarterly basis to Head Office

ATULESH YADAV Digitally signed by ATULESH YADAV  
Date: 2024.11.15 18:17:04 +05:30

Chief Environmental Officer (circle-2)



**मिशन LIFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली**  
(Lifestyle For Environment)  
जनसहभागिता का सन्देश



- स्वच्छता - देशमेवा मे अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें - एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय ।
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है । वेस्ट /अपशिष्ट फेंकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेंकने से रुकें । इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई - वेस्ट रीसाइकलर को दें । प्राधिकृत ई-रीसाइकलिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाने समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्रथाङ्कीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है । वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रेफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं । उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें । स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है ।



**कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।**  
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 1155 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : अप्रैल 03, 2023

**सहमति-पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट)**

मे0 ए0एस0 ट्रेडर्स  
प्रो0 श्री अशोक कुमार  
पुत्र श्री सत्तीदीन सघान  
निवासी ग्राम-कलौलीतीर, थाना कोतवाली नगर,  
जिला हमीरपुर।  
Email id - astradershamirpur@gmail.com

उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अध्याय-4 के अन्तर्गत खनन पट्टा पर स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञापित सं0-97/खनिज-30, बाँदा दिनांक 06.04.2022 जारी की गयी। उपरोक्त विज्ञापित के क्रम में आप द्वारा जनपद बाँदा की यमुना नदी क्षेत्र अन्तर्गत तहसील पैलानी स्थित ग्राम-सादीमदनपुर के गाटा सं0-56 का भाग, 57, 92/6, 93/1, 94, 95/2 व 60/1/3 का भाग कुल रकबा 18.50 हे0 में विज्ञापित मात्रा 2,31,250 घनमीटर प्रतिवर्ष उपलब्ध उपखनिज बालू/मोरम हेतु रू0 164/- प्रति घनमीटर की दर से ई-निविदा सह ई-नीलामी में बोली दी गयी है, जो सर्वाधिक है। मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जनपद बाँदा के डी0एस0आर0 में उल्लिखित समस्त क्षेत्रों का Replenishment study खनन क्षेत्र से सम्बन्धित तकनीकी संस्था CMPDI (Central Mine Planing and Design Institute Ltd) से कराया गया। CMPDI की अंतिम रिपोर्ट दिनांक 30.12.2022 में प्रश्नगत क्षेत्र के लिये season ending 2022 हेतु खनन योग्य मात्रा 5,55,722 घन मी0 आंकलित की गयी है। जिलाधिकारी बाँदा के आदेश दिनांक 31.03.2023 के माध्यम से CMPDI द्वारा प्रस्तुत खनन योग्य मात्रा 5,55,722 घन मी0 के आधार पर उक्त खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 एवं शासनादेश दिनांक 14.08.2017 के बिन्दु सं0-18(2) में किये गये संशोधन सम्बन्धी निर्गत शासनादेश दिनांक 09.10.2019 के बिन्दु सं0-06 के अनुसार "लेटर ऑफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त 02 कार्य दिवस के अन्दर प्री-बिड अर्नेस्ट मनी को समायोजित करते हुये पट्टे के प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित पट्टा धनराशि रू0 9,11,38,408/- (555722 X 164) का 45 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि रू0 4,10,12,284/- (25 प्रतिशत प्रतिमूति रू0 2,27,84,602/- एवं 20 प्रतिशत प्रथम वर्ष की प्रथम किस्त के रूप में रू0 1,82,27,682/-) निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्दर जमा किया जाना होगा। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।"

उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 में दी गयी शर्तें :-

- (1) प्रथम वर्ष के लिये देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिए विज्ञापित में आंकलित मात्रा घन मी0 को निविदा/नीलामी की दर रूपया घन प्रति मी0 से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। तदनुसार प्रत्येक वर्ष निर्धारित नीलामी की धनराशि को नियमावली-2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार मासिक किश्त अग्रिम रूप से जमा की जायेगी।



J. Nulure

- (2) प्रस्तावक को नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार रू0 10,000/- जमा कराकर क्षेत्र का सीमांकन कराएगा, जिसमें सीमा बिन्दुओं का जियो-कॉर्डिनेट्स भी इंगित किया जायेगा तथा नियम-36 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा तथा इसका अनुरक्षण करेगा।
- (3) लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदित हेतु देय प्रतिभूति एवं प्रथम किस्त की धनराशि जमा होने के प्रमाण सहित, खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- (4) The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 के तहत जल एवं वायु सम्वन्धी सहमति-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- (5) पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन किया जाना होगा। पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से 03 माह के भीतर खनन सक्रियार्ये प्रारम्भ की जानी है।
- (6) प्रस्तावक द्वारा नियम-35 के अनुसार क्षेत्र के भूमि-उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आरवासन की धनराशि रू0 6,67,500/- की बैंक गारण्टी एफ0डी0आर0, जो जिलाधिकारी बांदा के पक्ष में 05 वर्ष के लिये बंधक हो, को जमा करेगा।
- (7) प्रस्तावक को भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्राविधानों के तहत निर्धारित स्टाम्प पर पट्टा विलेख का निष्पादन कराने के पश्चात ही उपखनिजों के खनन एवं परिवहन की अनुमति होगी।
- ⊕ प्रस्तावक द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों व विज्ञप्ति में दी गयी शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) प्राप्ति के दो कार्य दिवस के अन्दर प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित पट्टा की सकल धनराशि का 45 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि रू0 4,10,12,284/- में जमा अर्नेस्ट मनी रू0 86,71,875/- को समायोजित करते हुये अवशेष धनराशि रू0 3,23,40,409/- (रूपये तीन करोड़ तेईस लाख चालिस हजार चार सौ नौ मात्र) को खनिज के निर्धारित लेखा शीर्षक "0853-अलौह-खनन तथा धातुकर्म उद्योग-102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क-01 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क" में जमा कर चालान की मूलप्रति खनिज कार्यालय, बांदा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि विनिर्दिष्ट अवधि में उक्त धनराशि को जमा नहीं किया जाता है तो आपके पक्ष में निर्गत सहमति पत्र को निरस्त करते हुये आप द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी की धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

( उमाकान्त त्रिपाठी )  
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)

बांदा।


पत्रांक व दिनांक तदेव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बांदा।
4. महा0 प्रवन्धक (वी0ओ0), एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड, ग्राउण्ड फ्लोर, सी.डब्ल्यू.सी., क्षेत्रीय कार्यालय परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)

बांदा।



J. N. Nishank

72

**कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।**

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 194b / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : अप्रैल 16, 2023

**क्लस्टर प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि मे० एस०एस० ट्रेडर्स ग्रो० श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सलीदीन सचान निवासी ग्राम-कलौलीतीर, धाना कोतवाली नगर, जिला हमीरपुर को पत्रांक-1155/खनिज-30, बाँदा दिनांक 03.04.2023 के माध्यम से जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-सादीमदनपुर के गाटा सं०-58 का भाग, 57, 92/6, 93/1, 94, 95/2, व 60/1/3 का भाग कुल रकबा 18.50 हे० बालू/मोरम खनन क्षेत्र के संबंध में संशोधित सहमति पत्र (एल०ओ०आई०) निर्गत किया गया है। ओ०ए० नं०-188/2018 सतेन्द्र पाण्डे बनाम पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित न्याधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2018 एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार द्वारा जारी ओ०एम०नं०-L-11011/175/2018-JA-II(M) दिनांक 12.12.2018 के अनुसार प्रश्नगत खनन क्षेत्र की स्थिति निम्नवत है :-

अ) प्रश्नगत खनन क्षेत्र की परिधि से 500 मीटर की दूरी में कोई खनन क्षेत्र नहीं है। संबंधित प्रकरण 0 से 5 हेक्टेयर तक है। अतः श्रेणी बी-2 से आच्छादित होता है। (लागू नहीं)

अथवा

ब) प्रश्नगत खनन क्षेत्र की परिधि से 500 मीटर की दूरी में कोई खनन क्षेत्र नहीं है। संबंधित प्रकरण 5 हेक्टेयर से अधिक है। अतः परियोजना श्रेणी बी-1 से आच्छादित होता है। (लागू नहीं)

अथवा

स) प्रश्नगत खनन क्षेत्र की परिधि से 500 मीटर की दूरी में निम्नांकित खनन क्षेत्र है :-

- 1) गाटा सं०- NIL ग्राम NIL खनन क्षेत्र NIL हेक्टेयर
- 2) गाटा सं०- NIL ग्राम NIL खनन क्षेत्र NIL हेक्टेयर

उक्त सभी खनन क्षेत्रों का कुल योग.....हेक्टेयर (05 हे० से कम) है। अतः परियोजना श्रेणी बी-1 का क्लस्टर नहीं बनता है। संबंधित प्रकरण श्रेणी बी-2 से आच्छादित होता है। (लागू नहीं)

अथवा

द) प्रश्नगत खनन क्षेत्र की परिधि से 500 मीटर की दूरी में निम्नांकित खनन क्षेत्र है :-

- 1) गाटा सं०-50/2क का भाग, 52/1, 53, 55, 56 का भाग, 58, 59 व 60/1/3 का भाग, ग्राम-सादीमदनपुर खनन क्षेत्र 17.50 हे०
- 2) गाटा सं०-92/6, 92/7 व 94 ग्राम-सादीमदनपुर खनन क्षेत्र 7.46 हे०
- 3) गाटा सं०-50/2, 50/2ख व 51 ग्राम-सादीमदनपुर खनन क्षेत्र 18.490 हे०
- 4) गाटा सं०-836, 840, 841, 842, 843 व 844 ग्राम-सादीमदनपुर खनन क्षेत्र 1.06 हे०

उक्त खनन क्षेत्रों का कुल योग 63.01 हेक्टेयर (05 हे० से अधिक) है। संबंधित प्रकरण की श्रेणी बी-1 से आच्छादित होता है।

अथवा

घ) प्रश्नगत क्षेत्र की परिधि से 500 मीटर की दूरी में 100 हे० से अधिक निम्नांकित एकल खण्ड क्षेत्र है :-

- 1) गाटा सं०- NIL ग्राम NIL खनन क्षेत्र NIL हेक्टेयर
- 2) गाटा सं०- NIL ग्राम NIL खनन क्षेत्र NIL हेक्टेयर

संबंधित प्रकरण श्रेणी ए से आच्छादित होता है। (लागू नहीं)

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण में ई०ए०सी० भारत सरकार/एस०ई०आई०ए०ए०, यू०पी०/डी०ई०आई०ए०ए० से निर्गत पूर्व-पर्यावरणीय क्लीयरेन्स के गाटा/खण्ड संख्या को सम्मिलित कर लिया गया है।

  
खनिज अधिकारी  
बाँदा।

  
J. Nulke

**CHALLAN**

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ०प्र०)

**Government of Uttar Pradesh**Uttar Pradesh Treasury Form-209(1) - Challan for Depositing Money  
[To be submitted through Net-Payment]

Challan No.: AKV250018080	Challan Date: 26/06/2025
Assessment Year: 2025-2026	Tax Period: ONETIME
Name of the Bank:	
Unique Id:	
Depositor Name:	MS AS Traders
Depositor Address:	Pro Ashok Sachan Dist Hamirpur Village Sadmadanpur

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
085300102010000	ब्रिजेज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क	1	1000000.00
	Totals of the above heads	--	1000000.00

A SUM OF Rs. 1000000.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE - [ THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION ] - ON HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.

(Depositor Remarks -> नोटिस सं०-5241 दिनांक 21.03.2025 द्वारा आरोपित धनराशि की आंशिक धनराशि जमा किये जाने हेतु)  
THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPAFHGWRB8, Scroll Date:-26/06/2025

<https://rajkosh.up.nic.in/PayGateway/EPayChallanCopy.aspx>

<https://rajkosh.up.nic.in/PayGateway/EPayChallanCopy.aspx>



J. Nulera

1/1

1/1

6/27/25, 3:20 PM

Untitled Page

CHALLAN			
(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ०प्र०)			
Government of Uttar Pradesh			
Uttar Pradesh Treasury Form-209(1) - Challan for Depositing Money			
[To be submitted through Net-Payment]			
Challan No.: AKV250018133	Challan Date: 27/06/2025		
Assessment Year: 2025-2026	Tax Period: ONETIME		
Name of the Bank:			
Unique Id:			
Depositor Name:	MS AS Traders		
Depositor Address:	Pro Ashok Sachan Dist Hamirpur Village Sadimadanpur		
Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
085300102010000	खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क	1	2000000.00
	Totals of the above heads	--	2000000.00
A SUM OF Rs. 2000000.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[ THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION ]-- ON HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.			
(Depositor Remarks->नोटिस सं०-5241 दिनांक 21.03.2025 द्वारा आरोपित धनराशि की आंशिक धनराशि जमा किये जाने हेतु)			
THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPAFHJJBE5, Scroll Date:-27/06/2025			



J. Nulwa

**कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।**  
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 2505 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : 19/8/2025

मे० ए०एस० ट्रेडर्स  
प्र० श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सत्तीदीन सचान  
निवासी ग्राम-कलोलीतीर, थाना कोतवाली नगर,  
जिला हमीरपुर।


कार्यालय जिलाधिकारी खनिज अनुभाग, बाँदा से निर्गत नोटिस पत्रांक सं०-1035/ खनिज-30, बाँदा दिनांक 27.05.2025 के माध्यम से निर्गत नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 02.06.2025 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्य रूप से यह अवगत कराया गया है कि पट्टे की जांच दिनांक 24.05.2025 को की गयी थी, जिसमें पिट्टे सं०-01 व 02 में कुल 22086 घन मी० अवैध खनन पाया गया था तथा उक्त अवैध खनन के सम्बन्ध में कथित रूप से नोटिस निर्गत किया गया था, इतना बड़ा अवैध खनन इतनी कम अवधि में सम्भव नहीं है, जब कि खनन पट्टे में बड़ी मात्रा में बालू/मोरम अवशेष है। उक्त कथित जांच में अधिकारियों ने गड्ढे की माप करते हुये इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है कि विषयगत गड्ढे नये हैं अथवा खनन पट्टा क्षेत्र संचालन की अवधि के हैं अथवा पूर्व के हैं एवं जांच टीम द्वारा यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि उनके निरीक्षण के दौरान प्रार्थी का कोई कार्मिक खनन करते हुये पाये गये थे अथवा उनके उपकरण जब्त किये गये थे। अतः पाये गये गड्ढों को कल्पना के आधार पर आरोप पट्टाधारक के ऊपर लगा दिया गया है। मौके पर जांच के समय स्थानीय व्यक्तियों/कारशकारों के ब्यान भी नहीं लिये गये, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अवैध खननकर्ता कौन है। अतः अवैध खनन का आरोप स्वीकार नहीं है।

पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-67 का उल्लेख करते हुये यह अवगत कराया गया है कि नियम-67 के अन्तर्गत राजस्व अधिकारी जांच हेतु अधिकृत न होने पर बिना किसी प्राधिकार के निरीक्षण किया गया है। अतः विषयगत निरीक्षण आख्या दिनांक 24.05.2025 स्वतः विधि विरुद्ध होने के कारण विधिक दृष्टि से शून्य है। पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में सिविल मिस रिट याचिका (सी) सं० 2478 वर्ष 2022 मे० राधिका कंस्ट्रक्शन बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2023 व निगरानी सं०-128(आर)/एस.एम./2021 मे० वी०ए०आर० इण्टर प्राईजेज प्रा०लि० बनाम निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म लखनऊ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.02.2022 का उल्लेख करते हुये अवैध खनन की मात्रा को अस्वीकार कर उसकी देयता से अवमुक्त करने की मांग की गयी है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण में प्रार्थी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि धारा-21(5) में धनराशि अधिरोपित करने का अधिकार जिलाधिकारी को नहीं है। इस सम्बन्ध में रिट याचिका सं०-14422 वर्ष 2019, मे० पुष्पदीप इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि० बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2022 का उल्लेख करते हुये उक्त आदेश के प्रस्तर-12, 13, 14 व 15 को अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है। इसी प्रकार सिविल अपील नं०-3795 वर्ष 2022 मे० हरियाना माइनिंग कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ हरियाना व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2022 का उल्लेख स्पष्टीकरण में किया गया है।

पट्टाधारक द्वारा उक्त स्पष्टीकरण के अन्त में उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-58 का उल्लेख करते हुये यह अवगत कराया गया है कि उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अर्थदण्ड एवं कारावास का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट का है, न कि जिलाधिकारी का। अतः स्पष्टीकरण में उल्लिखित समस्त मा० न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों एवं अन्य तथ्यों का संज्ञान लेते हुये प्रार्थी को निर्गत नोटिस दिनांक 27.05.2025 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों, साक्ष्य तथा जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि :-

1. पट्टाधारक के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-सादीमदनपुर के गाटा सं०-56 का भाग, 57, 92/6, 93/1, 94, 95/2 व 60/1/3 का भाग कुल रकबा 18.50 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 14.02.2025 से 13.02.2030 तक स्वीकृत/निष्पादित है।



J. Nulwa

(2)

12. उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खनिज विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 21.05.2025 को की गयी। संयुक्त जांच आख्या संख्या-1008/खनिज-30, बांदा दिनांक 24.05.2025 द्वारा अवगत कराया गया कि "पट्टाधारक गैर ए०ए० ट्रेडर्स प्रो० श्री अशोक कुमार के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 पिट्टे का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट्टे का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्टे की संख्या	दिन्तु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्टे का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°46'39.34"N	80°34'13.40"E	16794	1.00	16794.00
	B	25°46'40.03"N	80°34'20.24"E			
	C	25°46'41.56"N	80°34'19.55"E			
	D	25°46'41.38"N	80°34'17.58"E			
	E	25°46'42.41"N	80°34'17.05"E			
	F	25°46'42.99"N	80°34'15.26"E			
	G	25°46'43.96"N	80°34'14.55"E			
	H	25°46'43.63"N	80°34'13.30"E			
	I	25°46'42.29"N	80°34'12.85"E			
02	A	25°46'30.56"N	80°34'12.54"E	2352	2.25	5292.00
	B	25°46'30.39"N	80°34'10.32"E			
	C	25°46'29.25"N	80°34'10.58"E			
	D	25°46'29.40"N	80°34'11.90"E			
	E	25°46'29.19"N	80°34'13.03"E			
कुल योग :-						22,086.00

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर कुल 22,086.00 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।" उक्त कृत्य के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र सं०-1035/खनिज-30 बांदा दिनांक 27.05.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये रायल्टी की धनराशि रू० 33,12,900/- व खनिज मूल्य की धनराशि रू० 1,65,64,500/- कुल धनराशि रू० 1,98,77,400/- राजस्व की क्षति से अवगत कराया गया।

3. पट्टाधारक के पट्टे की जांच संयुक्त टीम द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के अनुसार तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टा क्षेत्र की जांच की गयी थी। जांच में संयुक्त टीम द्वारा अवैध खनन के अक्षांश-देशांतर, पिट्टे का क्षेत्रफल व औसतन गहराई के साथ अवैध खनन की मात्रा का उल्लेख किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक के पट्टा क्षेत्र से सटा हुआ अन्य कोई पट्टा जांच के समय संचालित नहीं था एवं पट्टे पर अधिकार पट्टाधारक का था। अतः उक्त से स्पष्ट है कि पट्टाधारक से सटा अवैध खनन पट्टाधारक द्वारा ही किया गया है। यदि उक्त अवैध खनन पट्टाधारक द्वारा न कर किसी अन्य पक्ष के द्वारा अवैध खनन किया गया है तो उसकी तत्काल सूचना पट्टाधारक द्वारा क्यो नहीं उपलब्ध करायी गयी। अतः पट्टाधारक द्वारा यह कथन कि उक्त अवैध खनन उनके द्वारा नहीं किया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है।

4. उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-67 में यह व्यवस्था दी गयी है कि :-

"किसी खान या परित्यक्त खान के रायल्टी का निर्धारण करने और उसकी वास्तविक या भावी कार्य की स्थिति की जांच करने के लिये या इस नियमावली से संबंधित प्रयोजन के लिये जिला अधिकारी या भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिकारी जो निदेशक द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त खान निरीक्षक के पद से नीचे के पद के न हों या राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी।"

अतः पट्टे की जांच मात्र राजस्व विभाग द्वारा न कर खनन विभाग की तरफ से खान निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसके फोटोग्राफ व हस्ताक्षर जांच आख्या में उल्लिखित है। अतः पट्टाधारक का यह कथन कि नियम-67 के अधीन पट्टे की जांच मात्र राजस्व अधिकारी द्वारा किया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है।

9  
१०-१-२५

J. Nulke

(3)

5. पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में यह कथन कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-21(5) के अन्तर्गत जिलाधिकारी को सार्वस्वीय या बाजारू मूल्य की धनराशि अधिरोपित करने का प्राधिकार नहीं है, साथ ही उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-58 में भी अर्थदण्ड व कारावास का क्षेत्राधिकार मा० न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास है न कि जिलाधिकारी के पास। पट्टाधारक का उक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है। यद्यो कि, पट्टाधारक को मात्र उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-59 के तहत मात्र नोटिस निर्गत किया है न कि कोई अतिरिक्त आदेश पारित किया गया है। अतः यह भी अवगत कराना है कि उ०प्र० शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-1/1024096-2025 दिनांक 14.07.2025 निर्गत कर यह उल्लेख किया गया कि :-

"खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या-67 सन् 1957) की धारा-26 की उपधारा-(2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-21 की उपधारा-(5) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने-अपने अधिकारिता के भीतर प्रयोग किये जाने योग्य होगी।"

6. पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में मा० न्यायालयों द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का उल्लेख करते हुये अवैध खनन के सम्बन्ध में निर्गत नोटिस दिनांक 27.05.2025 को वापस करने का अनुरोध किया गया है। यहां यह अवगत कराना है कि विभिन्न न्यायालयों के आदेशों में केस की परिस्थितियां व तथ्य भिन्न-भिन्न होते हैं, जिन्हे समान रूप से प्रत्येक केस में लागू किया जाना सम्भव नहीं है।

अतएवं उपरोक्त समस्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि पट्टाधारक को निर्गत नोटिस सं०-1035/खनिज-30, बाँदा दिनांक 27.05.2025 सही एवं नियमों के आलोक में निर्गत कि गयी है। पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 02.06.2025 के साथ ऐसा कोई साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त कृत्य/अवैध खनन उनके द्वारा नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 02.06.2025 निरस्त कर निस्तारित किया जाता है।

J. Nulwa  
19/08/2025  
(जे० सी०)  
जिलाधिकारी,  
बाँदा। o/c  
Ramesh



J. Nulwa

## कार्यालय जिलाधिकारी, बॉदा (उ०प्र०)

पत्रांक: 318/NGT/239

दिनांक: 18/7/25

## कार्यालय शाप

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-239/2025, अनिल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

....." 5. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) the State of Uttar Pradesh through District Magistrate, Hamirpur; (2) Director, Mining and Geology, Uttar Pradesh, (3) Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) through its Member Secretary and; (4) M/s. A S Traders through Ashok Kumar, S/o Shatiddin Sachan, R/o Kalauli Tir, Tehsil and District Hamirpur, Uttar Pradesh who are impleaded as respondents no 1 to 4. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents no 1 to 4 requiring them to file their replies/responses at least one week before the next date of hearing fixed.".....

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-239/2025, अनिल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 के परिप्रेक्ष्य में समिति का गठन किया जाता है:-

1. उपजिलाधिकारी, तहसील-पैलानी, जनपद-बॉदा।
2. खनिज अधिकारी, जनपद-बॉदा।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा।

उपरोक्त गठित समिति के नामित सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-239/2025, अनिल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश के अनुपालन में 07 दिवस के भीतर निरीक्षण करते हुये आख्या प्रेषित करें, जिससे की ससमय सूचना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रेषित की जा सके।

भवदीया

J. Nulwa  
18/07/2025  
(जे. रीमा)

जिलाधिकारी, बॉदा

पृष्ठांकन सं०:

दिनांक:

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपजिलाधिकारी, तहसील-पैलानी, जनपद-बॉदा।
2. खनिज अधिकारी, जनपद-बॉदा।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा।

J. Nulwa  
18/07/2025  
जिलाधिकारी, बॉदा

J. Nulwa



J. Nulwa


माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-239/2025, अनिल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या- 239/2025, अनिल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

....." 5. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) the State of Uttar Pradesh through District Magistrate, Hamirpur ; (2) Director, Mining and Geology, Uttar Pradesh, (3) Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) through its Member Secretary and ; (4) M/s A S Traders through Ashok Kumar, S/o Shatiddin Sachan, R/o Kalauli Tir, Tehsil and District Hamirpur, Uttar Pradesh who are impleaded as respondents no 1 to 4. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents no 1 to 4 requiring them to file their replies/responses at least one week before the next date of hearing fixed.".....

मैसर्स ए0एस0 ट्रेडर्स गाटा सं0-56 का भाग, 57, 92/6, 93/1, 94, 95/2, 60/1/3 का भाग, ग्राम-सादीमदनपुर, तहसील-पैलानी, जनपद-बोंदा, उ0प्र0 की आख्या निम्नवत् है:-

1. मैसर्स ए0एस0 ट्रेडर्स गाटा सं0-56 का भाग, 57, 92/6, 93/1, 94, 95/2, 60/1/3 का भाग, ग्राम-सादीमदनपुर, तहसील-पैलानी, जनपद-बोंदा उ0प्र0 को SEIAA के पत्रांक EC24B0107UP5448712N दिनांक 15.10.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 224093/UPPCB/BANDA(UPPCBRO)/CTO/BOTH/ BANDA/2024 दिनांक 14.11.2024 द्वारा सरार्त जल/वायु सहमति प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 14.11.2024 से दिनांक 31.12.2028 तक है।(संलग्नक-1)
2. मैसर्स ए0एस0 ट्रेडर्स गाटा सं0-56 का भाग, 57, 92/6, 93/1, 94, 95/2, 60/1/3 का भाग, ग्राम-सादीमदनपुर, तहसील-पैलानी, जनपद-बोंदा को जारी सहमति पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) पत्रांक सं0-1155/खनिज-30, बोंदा दिनांक 03.04.2023, क्लस्टर प्रमाण पत्र संख्या- 1946/खनिज-30, बोंदा दिनांक 06.11.2023, खनन पट्टा की क्षमता-5,55,722.00 घन मी0/वर्ष (माईनिंग प्लान व सहमति पत्र के अनुसार), 2,31,250.00 घन मी0/वर्ष (निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार) एवं खनन पट्टा सैण्ड/मोरम उद्योग लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है।(संलग्नक-2)
3. क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या-278/ओ0ए0-239/25/2025 दिनांक 03.06.2025 को खान अधिकारी, जनपद-बोंदा को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-239/2025 अनिल सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में सूचना चार्ही गयी थी। (संलग्नक-3)
4. खनन विभाग द्वारा प्रेषित पत्र संख्या-1865/खनिज-30, बोंदा दिनांक 25/07/2025 में अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 19.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 5101.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-5241/खनिज-30 बोंदा दिनांक 21.03.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 45,91,350/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 45,91,350/- के सापेक्ष आंशिक धनराशि रू0 30,00,000/-, जो चालान नं0-AKV250018080 दिनांक 26.06.2025 रू0 10,00,000/- व चालान नं0-AKV250018133 दिनांक 27.06.2025 रू0 20,00,000/- के माध्यम से जमा किया गया।(संलग्नक-4)
5. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-239/2025 अनिल सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी, बोंदा के पत्र संख्या-318/एन0जी0टी0/239 दिनांक 18.07.2025 द्वारा निरीक्षण हेतु समिति का गठन किया गया।(संलग्नक-5)
6. खनिज विभाग की सूचना के अनुसार खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 21.05.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 22086 घन मी0 बालू/मोरम का



J. Nulme



(2)

अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-1035/खनिज-30 बांदा दिनांक 27.05.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 1,98,77,400/- से अवगत कराया गया। (संलग्नक-8)

7. उक्त स्थल का निरीक्षण गठित समिति के सदस्यों/प्रतिनिधि उपजिलाधिकारी, तहसील-पैलानी, जनपद-बोंदा, खान अधिकारी, जनपद-बोंदा एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बोंदा द्वारा दिनांक 24.07.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय खनन का कार्य बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता श्री अनिल सिंह उपस्थित रहे, जिनके द्वारा मौखिक एवं लिखित रूप से अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त खनन पट्टे से कोई भी शिकायत नहीं है तथा पट्टेधारक द्वारा पानी का छिड़काव किया जाता है, अग्रेतर श्री महेंद्र सिंह, ग्राम-लोमर, श्री अनुभव तिवारी, ग्राम-लोमर, श्री विष्णु कुमार तिवारी, ग्राम-लोमर, श्री जीतेन्द्र सिंह, ग्राम-लोमर तथा श्री अनिल सिंह, ग्राम-लोमर जनपद-बोंदा द्वारा प्रेषित शपथपत्र दिनांक 28.07.2025 एवं दिनांक 05.08.2025 में अवगत कराया गया कि "ग्राम-सादीमदनपुर में संचालित खनन पट्टा ए०एस० ट्रेडर्स से प्रार्थी को कोई भी शिकायत नहीं है। वर्तमान में अशोक कुमार द्वारा रास्ते में पानी का छिड़काव किया जाता है। वर्तमान में मुझे कोई शिकायत नहीं है।" (संलग्नक-7(शपथ पत्र संख्या-5))

निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफस निम्नवत हैं:-



*Mallvi*  
डॉ० माधवी कमलवशी,  
क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण  
नियंत्रण बोर्ड, बोंदा

*R. P. P. P.*  
राज रंजन,  
खान अधिकारी,  
जनपद-बोंदा

*M*  
अंकित वर्मा  
उपजिलाधिकारी, पैलानी,  
जनपद-बोंदा

*9*  
20-5-25

*J. Nulke*



INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh



IN-UP75927240147679X

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP75927240147679X  
 Certificate Issued Date : 05-Aug-2025 03:29 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SVY) up14102504/ BANDA SADAR/OP-BND  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1410250449470000582872X  
 Purchased by : JITENDER SINGH SO BIRJAN SINGH  
 Description of Document : Article 4 Affidavit  
 Property Description : Not Applicable  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : JITENDER SINGH SO BIRJAN SINGH  
 Second Party : Not Applicable  
 Stamp Duty Paid By : JITENDER SINGH SO BIRJAN SINGH  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 10  
 (Ten only)

A.C.C. No. 14  
 PURUSHOTTAM OMIAR  
 A.C.C. CODE-UP-419250-  
 A.C.C. Address, Banda  
 Mobile-7905812052  
 License No-30/20  
 And District, Banda



Please write or type below this line

सेवा में,  
 श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश  
 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा।

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम सादीमदनपुर में संचालित खनन पट्टा ए0एस0 ट्रेडर्स से प्रार्थी को कोई भी शिकायत नहीं है और वर्तमान में अशोक कुमार द्वारा रास्ते में पानी का छिड़काव लगातार किया जाता है वर्तमान में मुझे कोई शिकायत नहीं है।

जितेंद्र सिंह  
 जीतेन्द्र सिंह  
 ग्राम लौमर

मो10नं0-7307280558

Statutory Alert:

1. The authenticity of the certificate can be verified by scanning the QR code on the certificate or by visiting the website: [www.upstamp.gov.in](http://www.upstamp.gov.in)
2. The user of checking the legitimacy of the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy, please inform the concerned authority.

9  
 20-8-2025

J. N. N. N.



INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh



e-Stamp

IN-UP8028874011001X

PURUSHOTTAM OMAR  
A.C.C. CODE-UP-14102504  
A.C.C. Address, Banda  
Mobile-7905812051  
License No-30/2012  
Bahaj And District, Banda

Certificate No. : IN-UP8028874011001X  
Certificate Issued Date : 20-Jul-2020 11:10 AM  
Account Reference : NEWIMPACO (BV)/up14102504/ DANDA BADAR/UP-BND  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1410250410100070704504X  
Purchased by : BISHNU KANT TIWARI SO BRAMHA DUTT TIWARI  
Description of Document : Article 4 Affidavit  
Property Description : Not Applicable  
Consideration Price (Rs.) : BISHNU KANT TIWARI SO BRAMHA DUTT TIWARI  
First Party : Not Applicable  
Second Party : BISHNU KANT TIWARI SO BRAMHA DUTT TIWARI  
Stamp Duty Paid By : 10  
Stamp Duty Amount(Rs.) : (Ten only)



Please write or type below this line

सेवा में,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश  
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बौदा

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम सादीमदनपुर में संचालित खनन पट्टा ए0एस0टेडर्स से प्रार्थी को कोई भी शिकायत नहीं है और वर्तमान में अशोक कुमार द्वारा रास्ते में पानी का छिडकाव लगातार किया जाता है वर्तमान में मुझे कोई शिकायत नहीं है।

Bishnu Kant Tiwari  
विष्णुकान्त तिवारी

ग्राम लोमर

मो0-6394440308

## Statutory Alert:

1. The authenticity of the Stamp certificate should be verified at [www.e-stamp.com](http://www.e-stamp.com) or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India. Any discrepancy in the details noticed, should be reported to the webmaster/ Mobile App vendors if available.
2. The rates of the Stamp Duty are subject to change without any prior notice.
3. In case of any discrepancy, please contact the webmaster/ Mobile App vendors if available.

9  
20-7-2020

J. N. N. N.



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh



IN-UP80257384074231X

PURUSHOTTAM OJAS  
A.C.C. CODE-UP-19250  
A.C.C. Address, Banda  
Mobile-7905812051  
License No-30/2012  
Jahra And District Banda

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP80257384074231X  
Certificate Issued Date : 28-Jul-2025 11:10 AM  
Account Reference : NEWIMPACO (8V) up14102604/ DANDA BADARV UP-BND  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1410250410160933947764X  
Purchased by : ANUBHAV TIWARI SO BHAIYALAL TIWARI  
Description of Document : Article 4 Affidavit  
Property Description : Not Applicable  
Consideration Price (Rs.) :  
First Party : ANUBHAV TIWARI SO BHAIYALAL TIWARI  
Second Party : Not Applicable  
Stamp Duty Paid By : ANUBHAV TIWARI SO BHAIYALAL TIWARI  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 10  
(Ten only)



Please write or type below this line

सेवा में,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश  
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बोंदा

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम सादीमदनपुर में संचालित खनन पट्टा ए0एस0टेडर्स से प्रार्थी को कोई भी शिकायत नहीं है और वर्तमान में अशोक कुमार द्वारा रास्ते में पानी का छिडकाव लगातार किया जाता है वर्तमान में मुझे कोई शिकायत नहीं है।

Anubhav Tiwari

अनुभव तिवारी

ग्राम लोमर

मो0-9260994848

## Statutory Alert:

- 1 The authenticity of the Stamp certificate can be verified at [www.11cstestamp.com/](http://www.11cstestamp.com/) or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on the Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- 2 The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
- 3 In case of any discrepancy please refer to the Competent Authority.

9  
20-7-2025

J. Nulwa



INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh



IN-UP60258424343202X

e-Stamp

ACC Name: **MAHENDRA SINGH SO RAJABABU SINGH**  
PURUSHOTTAM OMAR  
A.C.C. CODE-UP-419250  
A.C.C. Address: Banda  
Mobile-7905812051  
License No-3072812  
Banda And District, Banda

Certificate No. : IN-UP60258424343202X  
Certificate Issued Date : 28-Jul-2026 11:11 AM  
Account Reference : NEWIMPACC (SV) up14192504/ BANDA SADAR/ UP/BND  
Unique Doc. Reference : SUDIN-UPUP141925041B153328047515X  
Purchased by : MAHENDRA SINGH SO RAJABABU SINGH  
Description of Document : Article 4 Affidavit  
Property Description : Not Applicable  
Consideration Price (Rs.) : MAHENDRA SINGH SO RAJABABU SINGH  
First Party : Not Applicable  
Second Party : MAHENDRA SINGH SO RAJABABU SINGH  
Stamp Duty Paid By : 10  
Stamp Duty Amount(Rs.) : (Ten only)



Please write or type below this line

सेवा में,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश  
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बौदा

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम सादीमदनपुर में संचालित खनन पट्टा ए0एस0टेडर्स से प्रार्थी को कोई भी शिकायत नहीं है और वर्तमान में अशोक कुमार द्वारा रास्ते में पानी का छिडकाव लगातार किया जाता है वर्तमान में मुझे कोई शिकायत नहीं है।

*महेन्द्र सिंह*

महेन्द्र सिंह

ग्राम लोमर

मो0-8200011753

## Statutory Alert

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at [www.shikhsamp.com/](http://www.shikhsamp.com/) or using a Stamp Mobile App of Stock Holders. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.



J. Nulene



INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh



e-Stamp

Certificate No. : IN-UP80259328852510X  
 Certificate Issued Date : 20-Jul-2025 11:11 AM  
 Account Reference : NEWIMPACC (BV)/ up14192504/ BANDA BADAR/ UP-BND  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1419250419160017031823X  
 Purchased by : ANIL SINGH SO BABU SINGH  
 Description of Document : Article 4 Allidavil  
 Property Description : Not Applicable  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : ANIL SINGH SO BABU SINGH  
 Second Party : Not Applicable  
 Stamp Duty Paid By : ANIL SINGH SO BABU SINGH  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 10  
 (Ten only)

ACC Name  
 PURUSHOTTAM OMAR  
 A.C.C. CODE-UP-4192504  
 A.C.C. Address, Banda  
 Mobile-7905812051  
 License No-30/2011  
 Banda And Distrd. Banda



Please write or type below this line

सेवा में,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश  
 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बोंदा

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम सादीमदनपुर में संचालित खनन पट्टा ए0एस0टेडर्स से प्रार्थी को कोई भी शिकायत नहीं है और वर्तमान में अशोक कुमार द्वारा रास्ते में पानी का छिडकाव लगातार किया जाता है वर्तमान में मुझे कोई शिकायत नहीं है।

अनिल सिंह  
 अनिल सिंह

ग्राम लोमर

मो0-8115528585

## Statutory Alert:


1. The authenticity of this Stamp certificate is verifiable at [www.stickerstampcert.in](http://www.stickerstampcert.in) using a Stamp & Stamp App of Stamp 11 stamp. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App certificate is voided.
2. The onus of checking the legitimacy of a certificate is on the user of this certificate.
3. In case of any discrepancy, please contact the following:



J. Nulke

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु.50



FIFTY  
RUPEES  
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 878856



J. Nulme

9-9-2025  
Abhay Tripathi  
Advocate Notary  
Banda (U.P.)